

अनवान

176

कन्हैया लाल पुत्र धारा धाऊड  
 निवासी - उजर का खास लो बेई प्रार्थी / प्रार्थीगण  
 बनाम  
 मोगी लाल पुत्र सोडा धाऊड वगैर  
 निवासी धराबाव लो बेई विपक्षी / विपक्षीगण

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करने:

न्यायालय में अधिवक्ता श्री R.S. युद्धावत के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जाँच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जाँच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा धराबाव पटवार हल्का मल्वाड़ की आराजी संख्या 125/70 की कुल रकबा 1.5300 है। कुल कीता 0.2

कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा धराबाव पटवार हल्का मल्वाड़ की आराजी संख्या 125/70 की कुल कीता 0.2

कुल रकबा 1.5300 है। भूमि की पत्थरगढी हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 2500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र  
 कीता-

उपखण्ड अधिकारी, वेगूं  
 जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 308  
 प्रार्थना पत्र संख्या 89/25 व अनवान कन्हैया लाल पुत्र धारा धाऊड पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वारसे पालनार्थ दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, वेगूं  
 जिला चित्तौड़गढ़(राज.)